भा.कृ.अ.प.- भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान
ICAR-INDIAN GRASSLAND AND FODDER RESEARCH INSTITUTE
निकट पहुज बाँध, ग्वालियर रोड, झाँसी (उ.प्र.)-284003 भारत
Near Pahuj Dam,Gwalior Road, JHANSI-284003 INDIA
Phone :0510-2730666 Fax : 0510-2730833

फा.स. कार्यालयध्यक्ष / अस्पताल एम्पेनलमेन्ट / 2023–24 दिनांक : 17 / 01 / 2024

# कार्यालय आदेश

इस संस्थान के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों / कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि संस्थान के स्टॉक / पेन्शनर्स एवं उनके पारिवारिक पत्र आश्रितों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान कराये जाने के आशय से निदेशक, भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झाँसी द्वारा बुन्देलखण्ड सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, मेडिकल तिराहा, कानपुर बाईपास रोड, झाँसी को उनके द्वारा प्रदत्त स्वीकृति पत्र दिनांक 06.01.2024 तथा केन्द्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, झाँसी से उक्त अस्पताल का Memorandum of Understanding दिनांक 01.12.2023 के अनुबन्ध की नियमों एवं शर्तों व तदुपरांत केन्द्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, झाँसी के कार्यालय आदेश सं. 3–22(23) / एम.एफ. / आईसीएआर–काफरी दिनांक 06.12.2023 के अनुरूप, सी.जी.एच.एस. / सी.एस.(एम.ए.) की अनुमोदित दरों पर मेडिकल अटेण्डेन्स एवं उपचार के लिए (बाह्य रोगी विभाग एवं अंतः रोगी विभाग) एवं डायग्नोस्टिक सुविधा (पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी तथा सीटी स्कैन) हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाता है :–

संस्थान के सभी कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी एवं इनके पारिवारिक आश्रित उपरोल्लांकित अस्पताल में निम्नलिखित औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकते हैं–

1. वर्तमान में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी सम्बन्धित अस्पताल में स्वयं एवं अपने पारिवारिक आश्रितों के मेडीकल अटेण्डेन्स / उपचार की सुविधा (बाह्य रोगी विभाग एवं अंतः रोगी विभाग दोनों के संबंध में) प्राप्त करने हेतु अधिकारी / कर्मचारी अपने स्वयं के परिचय–पत्र को अस्पताल की सम्बन्धित डेस्क पर प्रस्तुत करने के पश्चात प्राप्त कर सकते हैं।
2. इस संस्थान के पेन्शनर्स, संस्थान के अंशकालीन डॉक्टर से रैफर होने की स्थिति में परिषद के नियमों के अंतर्गत, उपरोक्तांकित अस्पताल से मेडीकल अटेण्डेन्स / उपचार प्राप्त कर सकेंगे।
3. संस्थान के प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी एवं पेन्शनर्स तथा उनके पारिवारिक आश्रितों को मेडीकल अटेण्डेन्स / उपचार इत्यादि की सुविधाएँ सी.जी.एच.एस / सी.एस.(एम.ए.) की अनुमन्य दरों एवं पैकेज के आधार पर प्रतिपूर्ति (Reimbursement) की जायेगी। उपचार का भुगतान सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी / पेन्शनर को स्वयं करना होगा।
4. आकस्मिक स्थिति में उपरोक्तांकित अस्पताल द्वारा 24 घण्टे चिकित्सीय सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायेंगी।
5. यदि किसी भी स्टॉफ अथवा उसके पारिवारिक आश्रितों को उपरोक्तांकित अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है, तो उसकी सूचना सम्बन्धित अस्पताल प्रशासन के द्वारा कार्यालय अध्यक्ष को 24 घण्टे के अन्दर देना आवश्यक होगा।

यह परिपत्र निदेशक महोदय के अनुमोदन के पश्चात् जारी किया जा रहा है।

17.1.24

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / कार्यालयध्यक्ष

प्रतिलिपि :
1. प्रशासक, बुन्देलखण्ड सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, मेडिकल तिराहा, कानपुर बाईपास रोड, झाँसी
2. निदेशक, भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झाँसी
3. संस्थान के समस्त विभागाध्यक्ष / अनुभागाध्यक्ष / इकाई / प्रभारी अधिकारी को अपने अधीनस्थ स्टाफ की सूचनार्थ।
4. प्रभारी एकेएमयू को संस्थान वेबसाइट पर समस्त वैज्ञानिक / अधिकारी / कर्मचारी एवं पेन्शनर्स की सूचनार्थ परिचालित करने हेतु।
5. Under Secretary ( Crop Science ), ICAR, New Delhi –for information pl.
5. सूचना पटल / संबंधित फाइल